

ग्रामीण सेवा शिविर-2025 "पंडित दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय सम्वत् पखवाड़ा-2025"

प्रपत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प पधमला.

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पधमला
व भूअ.नि. पधमला की रिपोर्ट तथा ³⁹ तहसीलदार गिलुण्ड / नायब
तहसीलदार — की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खेनिमाणा तहसील रेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् २०१७ में खाता संख्या ८५ में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
०१	<u>खेनिमाणा</u>	<u>८५</u>	<u>मांजीलाल</u> <u>जाति - कोला</u>	<u>मांजीलाल</u> <u>जाति - रेगर</u>

उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक- ३५५

प्रतिदिपि ३५

दिनांक :- ११/१०/२५

- तहसीलदार गिलुण्ड को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
- प्रार्थी श्री मांजीलाल को सूचनार्थ।
- रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा सहायक कलक्टर,